न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्याम सिंह शेखावत आर.ए.एस

अपील संख्याः 62/2021

नारायण पुत्र स्व. रूघाराम जाति माली, निवासीः ग्राम हाडोता, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

..... **अपीलार्थी**

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र झूंथाराम
2. बजरंग लाल पुत्र झूंथाराम
3. सुभाष पुत्र झूंथाराम
4. सीताराम देवी पुत्र झूंथाराम
5. घीसालाल पुत्र देवाराम
6. रूडमल पुत्र देवाराम
   समस्त जाति माली, निवासीः ग्राम हाडोता, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमू, जिला जयपुर।

.....**रेस्पोडेन्ट्स**

अपील विरूद्व निर्णय डिक्री दिनांक 22.01.2021 न्यायालय सहायक कलक्टर चौमू (फास्ट ट्रेक), जिला जयपुर वाद पत्र संख्या 33/2019 उनवान नारायण बनाम ओमप्रकाशअंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

अजीत सैनी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी
देवेन्द्र कुमार सैनी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 ल. 6

निर्णय दिनांकः 26/3/2021

:–निर्णय–:

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय सहायक कलक्टर चौमू, (फास्ट ट्रेक) चौमू, जिला जयपुर के निर्णय डिक्री दिनांक 22.01.2021 वाद पत्र संख्या 33/2019 बउनवानी नारायण बनाम ओमप्रकाश के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत नक्शा दुरूस्ती, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम हाडोता, तहसील चौमू, जिला जयपुर में स्थित है जिसके आराजी खसरा नंबर 1927/1, 1942/1 एवं 1944/1 कुल किता 3 कुल रकबा 0.11 हैक्टेयर स्थित है जिसमें वादी का खातेदारी हिस्सा 1/3 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी उक्त वर्णित कृषि भूमि में खसरा नंबर 1942/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता जो साबिक खसरा नंबर 513/4 से बना हुआ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

है, ही विवादग्रस्त है। साबिक खसरा नंबर 513/4 पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 पूर्वजों के समय से ही काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा इस भूमि का उपयोग कृषि कार्य में ही किया जाता है। खसरा नंबर 513/4 के वर्तमान खसरा नंबर 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947 एवं 1927 बने है। इस भूमि में से नेशनल हाईवे निकलने से कुछ भूमि सडक में चली जाने से खसरा नंबर 1942 के शेष बट्टा नंबर 1942/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की खातेदारी में दर्ज है जो किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1942/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर की भूमि हमेशा पूर्वजों के समय से ही काश्त के रूप में काम आती रही है तथा भूमि में अलग–अलग समय पर अलग–अलग फसल बोई जाती रही है कभी भी इस भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में नहीं रहा है परन्तु दौराने सेटलमेन्ट राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना खातेदारों की सहमति व स्वीकृति राजस्व रिकॉर्ड नक्शा में खसरा नंबर 1942 व हाल खसरा नंबर 1942/1 को रास्ते के रूप में इन्द्राज कर दिया व किस्म भी गै.मु. रास्ता दर्ज कर दी गई जबकि कभी भी इस भूमि का उपयोग उपभोग रास्ते के रूप में नहीं किया गया है बल्कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की खातेदारी भूमि का उपयोग उपभोग शामलाती रूप से कृषि कार्य में होता रहा है। वादी द्वारा साबिक नक्शा खसरा नंबर 513/4 के रिकॉर्ड के मुताबिक नये नक्शे व रिकॉर्ड में खसरा नंबर 1942/1 को नक्शे में रास्ता व रिकॉर्ड में किस्म गै.मु. रास्ता गलत तरीके से दर्ज कर देने पर इसे दुरूस्त करने के लिये प्रतिवादी के यहां पर आवेदन प्रस्तुतकिया किन्तु प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया गया तथा सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने हेतु कहा गया जिस कारण वादी द्वारा यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये अंत में यह अनुतोष चाहा है कि वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से दर्ज हाल रिकॉर्ड खसरा नंबर 1942/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता को दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में चाही–2 अंकित की जावे तथा राजस्व नक्शा में खसरा नंबर 1942/1 को रास्ते के रूप में गलत तरीके से दौराने सेटलमेन्ट दर्ज कर दिया है, को दुरूस्त किया जाकर पूर्व नक्शे अनुसार बनाया जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि के आधार पर प्रतिवादी वादी के उपयोग उपभोग में कृषि कार्य में किसी प्रकार की दखलअंदाजी उत्पन्न नहीं करे, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट इत्यादि से करावे। जिस परअधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील वादी एवं प्रतिवादी की बहस सुनकर बाद बहस मनन निर्णय दिनांक 22.01.2021के माध्यम से वादग्रस्त भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज होने एवं मौके पर रास्ता चालू होना मानकर गै.मु. रास्ता की किस्म चाही–2 में दुरूस्त किया जाना संभव नहीं होने से वादी वाद खारिज कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। वकील पक्षकारान की पत्रावली में अंतिम बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने निवेदन किया किविवादग्रस्त आराजीयात अपीलान्ट की कब्जे काश्त की भूमि है एवं अपीलान्ट भूमि पर खेती करता है। राजस्व रिकॉर्ड में भी उक्त भूमि बारानी दोयम रही है। तहसीलदार की रिपोर्ट में भी मौके पर कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

सावर्जनिक रास्ता नहीं होने एवं उक्त भूमि के संबंध में अन्य रास्ते आवागमन हेतु मौके पर होने और उसे आवागमन हेतु प्रयोग में लिये जाने के तथ्य अंकित है। आराजीयात के साबिक नक्शे व राजस्व रिकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा उक्त समस्त बिन्दु दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध किये गये है बावजूद इसके अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय गलत पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.01.2021 खारिज फरमाया जावे।

4 अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस के प्रारम्भ में हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड हक़ त्याग पत्र दिनां क 03/02/2020 की और आकर्षित करा कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा वादी एवं प्रतिवादी के खाते की आराजी ख.न. 1942/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर का हक़ त्याग वादी/अपीलान्ट के हक़ में कर दिया है | जिससे अब रेस्पोडेन्ट्स का उक्त ख.न. 1942/1 में कोई हक़ अधिकार शेष नही रहने से प्रकरण में कोई उनका हित शेष नही रह गया है | अत: यदि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर नक्शे एवं राजस्व रिकार्ड में यदि दुरुस्ती की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नही है |

5 हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलान्ट द्वारा आराजी ख.न. 1942/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर के सन्दर्भ में रिकार्ड एवं नक्शा दुरुस्ती का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि मूल खसरा नम्बर 1942 पूर्व खसरा नम्बर 513/4 से कायम हुआ था | इस सन्दर्भ में अभिभाषक अपीलार्थी ने हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-6 की और आकर्षित कराया साथ ही जमाबन्दी सम्वत 2036 से 2040 जो प्रदर्श संख्या 8 है की और आकर्षित करा कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 511, 512, 513/1, 513/2, 513/3, 513/4 के रिकार्डेड खातेदार देवा, नारायण, झूथी पिसरान रुघा माली रहे है जिससे स्पष्ट है कि वादी/अपीलान्ट ख.न. 513/4 से कायम हुई नये खसरा नम्बर 1942 सम्पूर्ण के खातेदार काश्तकार है किन्तु कालान्तर में भू राजस्व विभाग द्वारा पर्चा लगान सम्वत 2046 से 2065 को जारी करते हुये ख.न. 1942 समस्त को गैर मुमकीन रास्ता दर्ज कर दिया | अभिभाषक अपीलार्थी ने दौराने बहस हमारा ध्यान प्रदर्श-11 जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 की और आकर्षित करा कर निवेदन किया था कि ख.न. 1942 का जो रकबा 0.01 हैक्टेयर गै. मु. सड़क में गया था का इन्द्राज विधमान है किन्तु तत्तपश्चात ख.न. 1942 का कायम हुआ खसरा नम्बर 1942/1 गलत रूप से प्रदर्श-1 जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 में अंकित कर दिया जो कि वादी/अपीलान्ट्स की खाते की आराजीयात है | अभिभाषक अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उद्दरित RRD 2015(2) पृष्ठ संख्या 1214 की और हमारा ध्यान आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया था कि ख.न, 513/4 से कायम हुआ था की किस्म कभी भी गै. मु. रास्ता नही रही बल्कि उसकी किस्म बारानी-2 रही है, भू-प्रबन्ध विभाग को उक्त नयी प्रविष्ठी अपीलार्थी के खाते की आराजीयात के सन्दर्भ में कोई अधिकार नही है, मात्र उनके द्वारा पूर्व में विधमान प्रविष्ठीयो को ही दौहराते जाना चाहिये था, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर कतई गौर नही कर वादी/अपीलान्ट का वाद ख़ारिज करने में त्रुटी की है | अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के दौरान निवेदन कर दिया था कि रेस्पोडेन्ट्स का अब आराजी ख. न. 1942/1 में कोई हक़ अधिकार शेष नही रहा है क्युकी उक्त आराजी का उनके भ्राता नारायण के हक़ में हक़ त्याग कर दिया है | उपरोक्त समस्त बहस अपीलार्थी एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्थिति तो स्पष्ट है कि ख.न. 1942 पूर्व ख.न. 513/4 कायम हुआ है किन्तु ख.न. 1942 का कालान्तर में जो विभाजन हुआ है उसका आधार क्या रहा है

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

इस सन्दर्भ में सम्पूर्ण साक्ष्य सबूत के आधार पर ही विवेचन किया जा सकता है जो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट नही होता है।

6 अत: यह उचित समझा जाता है कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उक्त सन्दर्भ में सम्पूर्ण साक्ष्य सबूत प्राप्त कर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

7 अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22/01/2021 निरस्त करते हुये प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वे आराजी ख.न. 1942 में कालान्तर में किन-किन वजहों से खण्ड बने एवं ख.न. 1942/1 जो वादी/अपीलार्थी के मूल खाते की आराजीयात से बना, कालान्तर में किस वजह से गैर मुमकीन रास्ता दर्ज हुआ, समस्त विवेचन के पश्चात पुन: निर्णय पारित करे।

8 पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

9 आज दिनांक 26|3|21 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर